न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 40/2021
GCMS Case No. 2021/128

सायल–	बनाम	गैरसायल–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		मेघराज उर्फ भाउ पुत्र श्री परसाराम जाति सिंधी निवासी स्टे भटवाडा पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली।

–:निर्णय:–

दिनांक – 30.04.2025

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 02.07.2021 को गैरसायल मेघराज उर्फ भाउ पुत्र श्री परसाराम जाति सिंधी निवासी स्टे भटवाडा पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2014 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें न्यायालय ने दो प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर जुर्माना से दण्डित किया गया है एवं तीन प्रकरण जैर ट्रायल है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	नाम थाना	फैसला दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	20/2014	13 आर.पी.जी.ओ	औ.क्षैत्र पाली	12.02.2014	100/रूपये जुर्माना
2	54/2015	13 आर.पी.जी.ओ.	औ.क्षैत्र पाली	–	जैर ट्रायल
3	243/18	13 आर.पी.जी.ओ.	औ.क्षैत्र पाली	–	जैर ट्रायल
4	84/2019	13 आर.पी.जी.ओ.	औ.क्षैत्र पाली	04.05.2019	100/रूपये जुर्माना
5	104/21	13 आर.पी.जी.ओ.	औ.क्षैत्र पाली	–	जैर अनुसंधान

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मेघराज उर्फ भाउ पुत्र श्री परसाराम जाति सिंधी निवासी स्टे भटवाडा पाली पुलिस थाना औ. क्षैत्र पाली का आला दर्जे का जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो वर्तमान में भी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उक्त गैरसायल के अवैध जुआ खेलने से अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पडने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगां का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(v) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैर सायल बावजुद नोटिस तामिल अनुपस्थित होने से सायल की ओर से ए.पी.पी. की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रकरण में ए.पी.पी. ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

हमने ए.पी.पी. की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 में दिनांक 12.02.2014 के द्वारा आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 84/2019 दिनांक 04.05.2019 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मेघराज उर्फ भाउ पुत्र श्री परसाराम जाति सिंधी निवासी स्टे भटवाडा पाली पुलिस थाना औ. क्षैत्र पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 15.05.2025 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में 08 बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी सोजत सिटी, जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मेघराज उर्फ भाउ पुत्र श्री परसाराम जाति सिंधी निवासी स्टे भटवाडा पाली पुलिस थाना औ. क्षैत्र पाली इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली, गैरसायल मेघराज उर्फ भाउ को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी सोजत सिटी उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षैत्र पाली- अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली एवं थानाधिकारी सोजत सिटी जिला पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)